न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 91 / 2023

प्रार्थीनी — **अप्रार्थी**

श्रीमती पुष्पा चौधरी बनाम **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।**

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, भू.राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/12/2024	प्रार्थीनी द्वारा ग्राम गगांणा के खसरा नम्बर 224 रकबा 0.8337 हैक्टर एव उपरोक्त खातेदारी भूमि की पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 224/3 224/4 एव दक्षिणी दिशा मे खसरा नम्बर 213/1 गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है जो कृषि भूमि के रूप मे रास्ते के रूप मे समर्पित की गई जिसके आधार पर राजस्व नक्शा तैयार किया गया जो मौके पर रास्ता कायम है। प्रार्थीनी द्वारा खसरा नम्बर 224/3 व 224/4 की अशुद्व तरमीम को राजस्व नक्शा दिनाक 15.09.2020 के अनुसार तरमीम शुद्व किया जाने का निवेदन किया गया । प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी होकर तहसीलदार झॅवर से मौका जॉच रिपोर्ट वास्ते तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झॅवर के पत्र कमाक/भू.अ/2024/411 दिनाक 24.09.2024 के रिपोर्ट मे ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 224/3, 224/4 की तरमीम लट्ठा नक्शा मे अकित तरमीम/मौका कब्जा अनुसार भिन्नता पाये जाने से वर्तमान मे ई–नक्शा मे दर्शित तरमीम को पुराने/दस्तावेज/लट्ठा नक्शा एव मौका अनुसार प्रमाणित पाये जाने पर निम्नानुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती किया जाना उचित है एव दुरूस्तीकरण किया जाना तहसीलदार झॅवर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अनुशंषा की गई। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झॅवर को आदेश दिया जाता है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनाक 02.09.2024 के अनुसार गलत तरमीम को शुद्व किया जावे पटवारी मौका फर्द आदेश का भाग समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	